रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092022-238835
CG-DL-E-15092022-238835

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2022/भाद्र 23, 1944
No. 452] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2022/BHADRA 23, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2022

फा. सं. जीए-18012/2/2022-जीआर.एडमिन-एफएसएसएआई.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (बैठकों में कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2010 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 17 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित करती है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (बैठकों में कारबार का संव्यवहार) संशोधन विनियम, 2022 कहा जा सकता है।

2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (बैठकों में कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2010 (जिन्हें एतदपश्चात् 'उक्त विनियम' कहा जाएगा) के,-

(1) विनियम 16 की जगह निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

"16. व्ययों की प्रतिपूर्ति:- पदेन् सदस्यों को छोड़कर खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों को प्रत्येक दिन अथवा उसके किसी भाग के लिए बैठक में उपस्थित होने के लिए सात हजार पाँच सौ रुपये का उपस्थिति शुल्क दिया जाएगा तथा उनके वास्तविक यात्रा एवं निर्वाह व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./270/2022-23]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 1-61/एफएसएसए/2009-डीएफक्यूसी, दिनांक 04 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनका निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया था:

1. फा. सं. एफ1-61/एफएसएसएआई/टीआर.बिजनेस/आरईजी/2015, दिनांक 16 अगस्त, 2016.

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2022

F. No. GA-18012/2/2022-Gr.Admin-FSSAI.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its meetings) Regulations, 2010, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (1) of Section 17 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation @fssai.gov.in

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its meetings) Amendment Regulations, 2022.

2. In the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its meetings) Regulations, 2010, (herein after referred as said regulation), -

(1) for regulation 16, the following shall be substituted, namely: -

"16. Reimbursement of expenses: - The members of the Food authority, other than *ex-officio* members, shall be paid a sitting fee of rupees seven thousand and five hundred for each day or part thereof for attending each meeting and the reimbursement of actual travel and subsistence expenses."

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./270/2022-23]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 1-61/FSSA/2009-DFQC, dated the 04th March, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

1. F.No. F1-61/FSSAI/Tr. Business/Reg/2015, dated 16th August, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA